

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी  
वित्त नियंत्रक,  
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी,  
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक, 18 अगस्त, 2017।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सैक्टर योजना "4406-01-101-04-00-वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण" के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, (कार्ययोजना)/अपर प्रमुख वन संरक्षक, (शोध) एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु साख-सीमा मदों में बजट/साख-सीमा का आवंटन।

संदर्भ :-

शासनादेश सं0 1658/X-2-2017-12(45)/2009 दिनांक 09 अगस्त, 2017 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक, (कार्ययोजना)/अपर प्रमुख वन संरक्षक, (शोध) एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण लागत रू0 436.61 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 280.86 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई डी-S1707270618 दिनांक 31.07.2017 से वित्तीय वर्ष 2017-18 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सैक्टर योजना "4406-01-101-04-00-वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण" के अन्तर्गत साख-सीमा मदों ₹1,55,75,000/- (एक करोड़ पचपन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त हुयी है। वर्तमान में अवमुक्त उक्त धनराशि का ऑन लाइन आवंटन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी-प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी को सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

- 1- संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु-संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 3- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति उपलब्ध होने पर तदनुसार अगली वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- 4- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 5- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लाई जाये।
- 6- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219 (2009) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 7- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- 8- कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुनरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा तथा परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 9- उक्त भवन निर्माण इकाई द्वारा शीघ्र पूर्ण कर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा शासन को भी सूचित किया जाये।
- 10- आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)  
वित्त नियंत्रक

संख्या: नि0 367 (1)/3-5 (आवा0/अना0 भवन) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
- 3- सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर सचिव, वित्त (अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 6- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रबन्ध, अनुसंधान, प्रशिक्षण, हल्द्वानी।
- 8- मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 9- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
- 10-आहरण वितरण अधिकारी-प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी। कृपया सन्दर्भित शासनादेश एवं उक्त पैरा-1 से 10 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रश्नगत भवन के निर्माण हेतु आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- 11-उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0एस0 कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

*Qar*

*MSAT*

*[Signature]*

(जीवन चन्द्र जोशी)

वित्त नियंत्रक

*[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some words like 'आवागमन', 'संलग्नक', 'वित्त' are visible.]*

*[Faint signature or stamp at the bottom left.]*

*[Faint signature or stamp at the bottom center.]*

1010

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-367/3-5

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - C1708270226

आवंटन पत्र दिनांक -18-Aug-2017

**CCL Division Name - Divisional Forest Officer Tarai Center Division, Haldwani (3290) , Treasury - Haldwan**

लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंज 01 - वानिकी  
 101 - वन संरक्षण और विकास  
 04 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण  
 00 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	15575000	15575000
29 - अनुरक्षण	200000	0	200000
	<b>200000</b>	<b>15575000</b>	<b>15775000</b>

Current Allotment To Above Division - 15575000

**Total Allotment To Above Treasury in Division - 15575000**

**Project Wise Budget Allotment Detail**

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	ऑब्जेक्ट कोड	लेखा शीर्षक	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
1	वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण - 070032900001372	24 वृहत् निर्माण कार्य	4406011010400	0	15575000	15575000
2	वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण - 070032900001372	29 अनुरक्षण	4406011010400	200000	0	200000
<b>Total -</b>				<b>200000</b>	<b>15575000</b>	<b>15775000</b>